



कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक / 17617 / RGSA / 9 / जिपं / 2017-18 राजनांदगांव दिनांक 16/03/2018

संचालक पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़-36-सी-।। ब्लाक-2 द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक RGSA / 144 / 2017 / 445 रायपुर दिनांक 21/12/2017 अनुसार पंचायत संचालनालय (छ0ग0) से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के अंतर्गत जिला समन्वयक (DPM)-RGSA के पद पर अधोलिखित उम्मीदवार को दिनांक 31.03.2018 तक के लिए उनके नाम के सम्मुख लिखे पदस्थापना स्थल पर संविदा नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:-

क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	पदनाम	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6
1	कल्याणी सिन्हा	श्री जितेन्द्र सिन्हा	शंकरपुर वार्ड-09, गौरा चौक राजनांदगांव (छ.ग.) पिनकोड़-491441	जिला समन्वयक	जिला पंचायत राजनांदगांव

प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति हेतु शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

नियम एवं शर्तेः-

- संविदा पर प्रतिमाह रु. 35000.00 एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी।
- संविदा नियुक्ति 31.03.2018 तक के लिए होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर एवं शासन से पद निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति पुनः बढाई जावेगी।
- यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई है।
- संविदा अवधि में 18 दिनों के अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
- संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
- संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि असत्य पाये जाते हैं, तो संबंधित को तत्काल पद से पृथक कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।
- यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र./एफ-9-1/2012/1-3, रायपुर, दिनांक 17.01.2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
- शारीरिक योग्यता संबंधी मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत राजनांदगांव(छ.ग.)



કાર્યાલય જિલા પંચાયત રાજનાંદગાંવ (છ.ગ.)

પૃ. ક્રમાંક / ૧૭૬૧૮ / RGSA / ૧૧ / જિપં / ૨૦૧૭-૧૮

રાજનાંદગાંવ દિનાંક ૧૬ / ૦૩ / ૨૦૧૮

પ્રતિલિપિ :-

- ૧ અપર મુખ્ય સચિવ, છ.ગ. શાસન પંચાયત એવં ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ, મંત્રાલય રાયપુર કી ઓર સૂચનાર્થ।
- ૨ સંચાલક, પંચાયત સંચાલનાલય, ઇંદ્રાવતી ભવન, નયા રાયપુર કી ઓર સૂચનાર્થ।
- ૩ સંચાલક, ઠાકુર પ્યારેલાલ રાજ્ય ગ્રામીણ વિકાસ પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન નિમોરા, રાયપુર (છ.ગ.) કો સૂચનાર્થ।
- ૪ કલેક્ટર, જિલા રાજનાંદગાંવ કો સૂચનાર્થ।
- ૫ ઉપ સંચાલક, (પંચાયત), રાજનાંદગાંવ કો આવશ્યક કાર્યવાહી હેતુ।
- ૬ સ્ટેનો-ટ્રૂ સીર્ઝઓ, જિલા પંચાયત રાજનાંદગાંવ કો સૂચનાર્થ।
- ૭ મુખ્ય ચિકિત્સક એવં સ્વાસ્થ્ય અધિકારી, મેકાહારા જિલા રાજનાંદગાંવ કો સૂચનાર્થ એવં શારીરિક યોગ્યતા સંબંધી પ્રમાણ પત્ર પ્રદાય કિયે જાને બાબત્।
- ૮ મુખ્ય કાર્યપાલન અધિકારી, જનપદ પંચાયત જિલા રાજનાંદગાંવ કો સૂચનાર્થ।
- ૯ સર્વ સંબંધિત શ્રી / શ્રીમતી / કુ..... કી ઓર સૂચનાર્થ એવં પાલનાર્થ। દિનાંક ૨૨ / ૦૩ / ૨૦૧૮ તક આવશ્યક પ્રમાણ પત્રોં સહિત જિલા પંચાયત રાજનાંદગાંવ મેં કાર્યભાર ગ્રહણ કરના સુનિશ્ચિત કરેં।

મુખ્ય કાર્યપાલન અધિકારી,
જિલા પંચાયત રાજનાંદગાંવ(છ.ગ.)